रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1331] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 30, 2007/कार्तिक 8, 1929
No. 1331] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 30, 2007/KARTIKA 8, 1929

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2007

का.आ. 1851(अ).—विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार यह निर्धारित करने के लिए कि क्या नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) तथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ) को विधि-विरुद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं, एतद्द्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री मदन बी. लोकुर की अध्यक्षता में एक "विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण" का गठन करती है ।

[फा. सं. 11011/41/2007-एन.ई. III]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2007

S.O. 1851(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes "The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" consisting of Shri Justice Madan B. Lokur, Judge of Delhi High Court, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause of declaring the National Liberation Front of Tripura (NLFT) and All Tripura Tiger Force (ATTF) as unlawful associations.

[F. No. 11011/41/2007-NE-III]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

4386 GI/2007

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.